F A Q

1. पंजीयन की कार्यवाही किस स्तर पर की जावेगी ?

जवाब– पंजीयन की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोक्स अथवा इंटरनेट के माध्यम से रूपये 5250 भुगतान के साथ की जायेगी।

2. पंजीयन के समय प्रस्तुत जानकारी का प्रमाणीकरण कौन करेगा ?

जवाब– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत अग्रणी महाविद्यालयों के साथ अन्य चयनित शासकीय महाविद्यालयों द्वारा किया जायेगा।

3. प्रमाण–पत्र सत्यापन के बिन्दु कौन से है ?

जवाब– प्रमाणीकरण निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा –

3.1– अंकसूची प्रमाणीकरण में किन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है :

अ – प्राप्तांकों के प्रतिशत के संदर्भ में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा जिसमें आवेदक के प्राप्तांकों का प्रतिशत अधिक है, उसे ही प्रवेश हेतु मान्य किया जाना है। ग्रेडिंग के संदर्भ में प्राप्त ग्रेड को संबंधित आवेदकों की अंकसूची में वर्णित प्रक्रियानुसार प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। अन्यथा सी.जी.पी.ए. को समतुल्य प्रतिशत में नियमानुसार मान्य करना होगा।

ब – ऑनर्स पाठ्यक्रम की अंकसूची के संदर्भ में ऑनर्स विषय जिसके प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिशत/श्रेणी का निर्धारण अंकसूची में किया गया है, उसे ही मान्य करना होगा।

स – संस्कृत पाठ्यक्रम की अंकसूची के संदर्भ में शास्त्री स्नातक स्तर की उपाधि है तथा आचार्य स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि है।

द – स्नातक की **न्यूनतम तीन वर्षीय डिग्री** तथा स्नातकोत्तर की **न्यूनतम दो वर्षीय डिग्री** ही मान्य होगी।

3.2– मूल निवासी प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई आवेदक मूल निवासी प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं करायेगा तो उसे मध्यप्रदेश के मूल निवासी का आवेदक नहीं माना जायेगा।

3.3– जाति प्रमाण–पत्र

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

3.4– संवर्ग श्रेणी

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, सैनिक एवं विधवा/परित्यक्ता श्रेणी के आवेदकों को संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5– आवेदक का फोटो प्रमाणीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही किया जायेगा।

3.6– दस्तावेजों का सत्यापन महाविद्यालयों द्वारा 10.01.2013 से 28.01.2013 तक ही किया जायेगा।

4. सत्यापन कहां कराये जा सकते हैं ?

जवाब– आवेदक द्वारा अपना पंजीयन कराने के उपरांत प्रदेश में 75 चयनित महाविद्यालय में से किसी भी महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराया जाना है।

5. चयन एवं आवंटन की प्रक्रिया में महाविद्यालय की क्या भूमिका है ?

जवाब– इस संबंध में महाविद्यालय को निम्न दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करना होगा –

5.1– एम.पी. ऑनलाईन के अलाटमेंट लेटर की दो फोटोकॉपी।

5.2– दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के समय प्रदान की गई रसीद की प्रति प्राप्त कर पुष्टि करना।

5.3– आवेदक की टीसी/स्थानातरण प्रमाण/माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति तथा दो फोटोकापी प्रवेश के समय प्राप्त करना।

5.4– समस्त मूल दस्तावेजों का पुनः अभिप्रमाणीकरण।

5.5– रु. 20000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो आवंटित कालेज के नाम से हो, जमा करना। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिये। आवेदक को महाविद्यालय डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की रसीद उपलब्ध करायेगा।

6– प्रवेश की जानकारी एम.पी. ऑनलाईन में कब तक उपलब्ध करानी है ?

जवाब– प्रतिदिन प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी सांय 5.30 बजे तक एम.पी. ऑनलाईन को उपलब्ध कराई जानी है। समय सीमा में प्रवेश की जानकारी उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित शासकीय महाविद्यालय की होगी।

7– प्रवेश की अंतिम जानकारी किसके द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ?

जवाब– बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रक्रिया हेतु चयनित शासकीय महाविद्यालय की प्रवेश संबंधी सूची अंतिम मानी जायेगी तथा समय सीमा में प्राप्त जानकारी को अगले दौर की काउंसलिंग का आधार माना जायेगा।

8– विद्यार्थी द्वारा निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

जवाब– प्रथम चरण में विद्यार्थी द्वारा यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लिया गया है, तो ऐसा विद्यार्थी अगले दौर की काउंसलिंग में रिक्त सीटों पर रूपये 50 देकर पुनः वरीयता व्यक्त कर शामिल हो सकेगा।

9– प्रमाणीकृत रसीद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगति होने पर क्या कार्यवाही करना है ?

जवाब – 1. महाविद्यालय को विसंगति की सूचना तत्काल एम.पी. ऑनलाईन तथा उच्च शिक्षा की ईमेल पर/एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन मोड्यूल द्वारा दी जाना है ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

2. यदि आरक्षित वर्ग की सीट हेतु, मध्यप्रदेश का मूल निवासी या अन्य किसी दावे हेतु प्रमाण पत्र गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित विद्यार्थी की सूचना **Discrepancy Module** में एमपीऑनलाईन तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा को देगे।

10. आवंटित बी.एड. महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहने अथवा निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नही करने पर क्या होगा ?

जवाब– आवंटित बी.एड. महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहने अथवा निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदक, अगला चरण उपलब्ध होने पर महाविद्यालयवार उपलब्ध रिक्तियों को देखकर अपनी वरीयताएँ पुनः ऑन लाइन व्यक्त कर काउन्सिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। गुणानुक्रम में आने एवं चरण उपलब्ध होने पर ही आवंटन होगा, अतः आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें।

11. प्रवेश अप्राप्त आवेदकों के पंजीयन शुल्क की वापसी कब और कैसे होगी ?

जवाब– प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् एम. पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदकों को पंजीयन के समय दिये गये पते पर चैक से वापस की जावेगी। अतः सही पते की प्रविष्टि की जॉच अवश्य कर लें।